



प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, (अ.जा./अ.ज.जा.)



(भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एवं कल्याण विभाग, बिहार सरकार की ओर से अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण)
श्रम एवं समाज-कल्याण विभाग, गया कॉलेज, गया, - 823001

दिनांक 05/06/2025

महत्वपूर्ण सूचना

सभी विभागाध्यक्षों, शिक्षकों, संकाय सदस्यों से अनुरोध है कि सूचित करना है कि गया कॉलेज, परिसर के श्रम एवं समाज-कल्याण विभाग में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (अ० जा०/अ० ज० जा०) का संचालन किया जा रहा है। इस केन्द्र में बिहार राज्य के अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 60-60 सीटों पर योग्यतानुसार UPSC/BPSC एवं SSC/RLY/BANK, आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु 5 - 6 माह तक निःशुल्क प्रशिक्षण/कोचिंग प्रदान किया जाता है। इसके नये बैच (जुलाई-दिसम्बर, 2025) में नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होना है जिसके लिए विज्ञापन 4 जून को प्रकाशित किया जा चुका है।

अतः आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अपने विभाग के छात्र एवं छात्राओं के बीच यह सूचना प्रसारित करें जिससे अपने महाविद्यालय के छात्र-छात्रा भी इस निःशुल्क प्रशिक्षण/कोचिंग का अधिकाधिक लाभ ले सकें। इसका आवेदन-पत्र श्रम एवं समाज-कल्याण विभाग में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (अ० जा०/अ० ज० जा०) के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन की अंतिम तिथि :- 19/06/2025.

प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि:- 23/06/2025

डॉ. किशोर कुमार


निदेशक

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (SC&ST)
श्रम एवं समाज-कल्याण विभाग
गया कॉलेज, गया



गया समाहरणालय, गया

(जिला कल्याण कार्यालय)

प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र

गया कॉलेज (श्रम एवं समाज कल्याण विभाग) गया - 823001

निःशुल्क प्रशिक्षण की सूचना

अनुरूचित जाति एवं अनुरूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु गया कॉलेज, गया में प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में संघ/राज्य लोक सेवा आयोग, बैंकिंग, रेलवे एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अलग-अलग प्रतियोगिता में सत्र-2025-26 के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. पात्रता:-

- ✓ छात्र/छात्रा की आयु सीमा एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अनुरूप होनी चाहिए।
- ✓ बिहार का स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- ✓ जाति- अनुरूचित जाति एवं अनुरूचित जनजाति के अन्तर्गत होनी चाहिए।
- ✓ छात्र की आय सहित उनके अभिभावक की अधिकतम वार्षिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर 3,00,000/- (तीन लाख) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. छात्र/छात्राओं का चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

3. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में अध्ययनरत स्थानीय विद्यार्थियों को 1,500/- (एक हजार पाँच सौ) रुपये प्रतिमाह तथा जिला के बाहर के विद्यार्थियों को 3,000/- (तीन हजार) रुपये प्रतिमाह के दर से छात्रवृत्ति भुगतान किया जाना है। छात्रवृत्ति का भुगतान प्रत्येक माह 75 प्रतिशत के उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा।

4. प्रशिक्षण की अवधि अधिकतम छः माह निर्धारित है।

आवेदन-पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम, 2. पिता/पति का नाम, 3. जन्म तिथि, 4. कोटि, 5. जाति, 6. धर्म, 7. (अ) शैक्षणिक योग्यता, (व) उत्तीर्ण होने का वर्ष, 8. स्थायी एवं वर्तमान पता, 9. परिवार की वार्षिक आय (अद्यतन), 10. परीक्षा के ऐच्छिक विषय, 11. पूर्व में प्राप्त प्रशिक्षण का वर्ष/विषय (यदि हो तो), 12. किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने का विवरण (यदि हो तो), 13. मोबाईल नंबर।

आवेदन-पत्र के साथ जन्म तिथि, जाति, शैक्षणिक योग्यता, जाति एवं आय संबंधी प्रमाण-पत्र (अद्यतन) का किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित प्रतिलिपि एवं पासपोर्ट साईज (5 से.मी. x 4 से.मी.) के 5 (पाँच) फोटो आवश्यक संलग्न करें। फोटो, आवेदक का नाम तथा फोटो की तिथि के साथ अनिवार्यतः खिंचवाया जाना चाहिए। नामांकन के समय मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन-पत्र के साथ 6 रु. का डाक टिकट सहित लिफाफा एवं एक पोस्टकार्ड अपने पते के साथ अवश्य संलग्न करें।

नोट:-

(A) समाचार पत्रों में प्रकाशन तिथि से पन्द्रह (15) दिनों के अंदर आवेदन-पत्र अवश्य भेज दें।

(B) प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, गया कॉलेज (श्रम एवं समाज कल्याण विभाग) गया - 823001 के कार्यालय से भी आवेदन-पत्र प्राप्त किये जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट-www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर देखा जा सकता है।

उक्त सूचना www.state.bihar.gov.in/prdbihar पर भी देखी जा सकती है।

उप विकास आयुक्त,
गया